फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

मदन लाल बनाम रामकरण व अन्य

केस संख्या 102/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
29.07.2021	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 47/2002 ब उनवानी मदन लाल बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य वर्ष 2002 से लम्बित होने एवं पीठासीन अधिकारी का अधिकांश समय प्रशासनिक कार्य मे व्यस्त रहने के कारण प्रकरण का निस्तारण नही होने से उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी बस्सी से जयपुर मुख्यालय स्थित किसी फास्ट ट्रैक न्यायालयय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी पर किसी प्रकार का आरोप नही लगाया है। उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी श्री राम कुमार वर्मा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है। प्रकरण को अन्यत्र ट्रान्सफर किये जाने से निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होने की सम्भावना है। उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पद पर नये पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन हो गया है। इसलिए पीठासीन अधिकारी को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश के साथ मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण काफी वर्षो से लम्बित है। इसलिए प्रकरण मे छोटी छोटी तारीख पेशी दी जाकर विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित करते हुये शीघ्र मैरिट पर निस्तारण करें। पत्रावली नम्बर से कम हो। 29/7/21 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर	